राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज0, जयपुर।

क्रमांक : वी.एस./एमसीसीडी/2020/ दिनांक :

1– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

2– समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषयः– मृत्यु के कारणों की चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र रिपोर्ट (MCCD) ऑनलाईन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– निदेशालय के पत्र क्रमांकः वी.एस./एमसीसीडी/2020/68 दिनांकः 6.5.2020

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानो के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा संस्थानों यथा समस्त राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी में घटित मृत्यु की घटना का इन्द्राज मृत्यु प्रतिवेदन में करते हुए मृत्यु के कारणों के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से भरकर **वेबपोर्टल पहचान** के माध्यम से ऑनलाईन किये जाने हेतु लिखा गया था।

इस सम्बन्ध मे अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं संयुक्त निदेशक (जीवनांक), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने पत्र क्रमांकः 224 दिनांक 1.6.2020 के द्वारा अवगत कराया है कि वेबपोर्टल पहचान पर एमसीसीडी कार्य की प्रगति की समीक्षा मे पाया गया कि चिकित्सालय/ सीएचसी/पीएचसी द्वारा ऑन लाईन फीडिंग नहीं की जा रही है। जिससे एमसीसीडी के राज्य का डेटा सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पा रहा हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थानों मे होने वाली मृत्यु के कारणों की चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र रिपोर्ट (एमसीसीडी) का प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से भरकर आईसीडी–10 कोडिंग करने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वेबपोर्टल पहचान के माध्यम से ऑन लाईन किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही आप अपने स्तर से उक्त कार्य की नियमित मोनिटरिंग करने की सुदृढ़ व्यवस्था करने का श्रम करें, जिससे की मृत्यु के कारणों की त्वरित सूचना भारत सरकार को उपलब्ध कराई जा सकें।

(डॉ0 के0के0 शर्मा)
निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

क्रमांक : वी.एस./एमसीसीडी/2020/78 दिनांक : 8/6/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1– अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं संयुक्त निदेशक (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को उनके उक्त पत्र के संदर्भ में।

2– अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) विभाग, राज0, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि आपके अधीन आने वाले चिकित्सालयों में होने वाली मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र ऑन लाईन किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही करने का श्रम करें।

3– प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

vsodmhs1914@gmail.com